33

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

कैलाश चन्द्र शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
9/2019/प्रा.पत्र/2019	22.04.2019	26.07.2019

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1– श्री वाय.पी. सिंह पुत्र सौरन सिंह जाति राजपूत निवासी 9–10 जी.पी. कॉलोनी न्यू सांगानेर रोड मानसरोवर जयपुर प्लान्ट इन्चार्ज मैसर्स टोंक जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड 115–117 रीको इण्डस्ट्रीज एरिया टोंक जिला टोंक राज0

2– मैसर्स टोंक जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड 115–117 रीको इण्डस्ट्रीज एरिया टोंक जिला टोंक राज0

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री सत्यनारायण गुर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।

2–अप्रार्थी स्वंय उपस्थित

:–निर्णय–: **दिनांक 26.07.2019**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 23.07.2018 को समय 4.30 पी.एम. पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स टोंक जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड 115–117 रीको इण्डस्ट्रीज एरिया टोंक जिला टोंक राज0 पर पहुंचा। विक्रेता की हैसियत से श्री वाय.पी. सिंह पुत्र सौरन सिंह जाति राजपूत निवासी 9–10 जी.पी. कॉलोनी न्यू सांगानेर रोड मानसरोवर जयपुर प्लान्ट इन्चार्ज मैसर्स टोंक जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड 115–117 रीको इण्डस्ट्रीज एरिया टोंक जिला टोंक राज0 खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का प्लान्ट इन्चार्ज होना स्वीकार किया एवं एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु मैसर्स टोंक जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड 115–117 रीको इण्डस्ट्रीज एरिया टोंक जिला टोंक के टैंक मे लगभग 6000 लीटर **पाश्च्यूराईज्ड टोण्ड मिल्क सरस ब्राण्ड दूध** रखा था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर, एफ.बी.ओ. श्री वाय.पी. सिंह को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता वाय.पी.सिंह एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा टैंक मे रखे 6000 लीटर **पाश्च्यूराईज्ड टोण्ड मिल्क सरस ब्राण्ड दूध** मे से कुल 2 लीटर प्लेन्जर से अच्छी तरह से हिला मिलाकर पूर्णतया होमोजिनियस कर वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये मे से वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री वाय.पी सिंह को रू0 80/–अक्षरे अस्सी रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **पाश्च्यूराईज्ड टोण्ड मिल्क सरस ब्राण्ड दूध** 2 लीटर को अच्छी तरह से हिला मिलाकर पूर्णतया होमोजिनियस कर 4 साफ एंव सूखी कांच की शिशियो मे बराबर–बराबर भरकर चार भाग तैयार कर प्रत्येक भाग मे 40 प्रतिशत फारमेलिन की 40–40 बूंदे डालकर प्रत्येक शीशी

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट 870
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Scanned by CamScanner

को ढक्कन से अच्छी तरह एयर टाइट बंद कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं कमांक I–1951 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–1951 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी.ओ. वाय.पी.सिंह के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./18/2102 दिनांक 09.08.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाध सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/393/एक्ट/2018/399 दिनांक 01.08.2018 अनुसार वाय.पी.सिंह से वास्ते नमूना जांच विकय किया गया **पाश्च्यूराईज्ड टोण्ड मिल्क सरस ब्राण्ड दूध** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का **पाश्च्यूराईज्ड टोण्ड मिल्क सरस ब्राण्ड दूध** का विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2)की उप धारा (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 (सहपठित धारा 49)में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **पाश्च्यूराईज्ड टोण्ड मिल्क सरस ब्राण्ड दूध** का विकय कर रहा था वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **पाश्च्यूराईज्ड टोण्ड मिल्क सरस ब्राण्ड दूध** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2)की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 (सहपठित धारा 49) अप्रार्थी मैसर्स टोंक जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड 115–117 रीको इण्डस्ट्रीज एरिया टोंक जिला टोंक राज0 पर शास्ती 5,000/– (अक्षरे पांच हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 26.07.2019 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2019 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

Scanned by CamScanner